न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2020/75

श्रीनारायण पुत्र श्री गंगाराम, आयु 60 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम पटवार हल्का खोह नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रविन्द्र सोनी पुत्र श्री नामालूम, जाति स्वर्णकार, निवासी प्लॉट नं. 34 बसंत एनक्लेव, हीरापुरा, लूनियावास, जयपुर।
2. मीना देवी पत्नी श्री रविन्द्र सोनी, जाति स्वर्णकार, निवासी प्लॉट नंबर 34 बंसत एनक्लेव, हीरापुरा, लूनियावास, जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय **दिनांकः 21.01.2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि :–
प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का लूनियावास, भू अभिलेख निरीक्षक लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर स्थित है, जिसके खाता संख्या नया 72 व पुराना 58, सम्वत् 2074 से 2077 में खसरा नंबर 126 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 127 रकबा 0.0700, खसरा नंबर 166 रकबा 0.1600, खसरा नंबर 167 रकबा 0.1600, खसरा नंबर 168 रकबा 1.600, खसरा नंबर 169 रकबा 0.1500, खसरा नंबर 180 रकबा 0.3500, खसरा नंबर 181 रकबा 0.4500, खसरा नंबर 237 रकबा 0.3000, खसरा नंबर 238 रकबा 0.3200, खसरा नंबर 240 रकबा 0.6700, खसरा नंबर 241 रकबा 0.5200, खसरा नंबर 242 रकबा 0.2500, खसरा नंबर 243 रकबा 0.2100, खसरा नंबर 244 रकबा 0.4300, खसरा नंबर 245 रकबा 0.5500, खसरा नंबर 246 रकबा 0.2100, खसरा नंबर 274 रकबा 0.4500, 279 रकबा 1.0700, खसरा नंबर 280 रकबा 0.0100, खसरा नंबर 281 रकबा 0.1000, खसरा नंबर [illegible] रकबा 282 रकबा 0.1100, खसरा नंबर 283 रकबा 0.2100, खसरा नंबर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर ...

Scanned by CamScanner

1.1200, खसरा नंबर 284/509 रकबा 0.5300, खसरा नंबर 287/529 रकबा 0.0300 इस प्रकार कुल खसरा 26 कुल रकबा 9.2100 हैक्टेयर है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा है। जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है। अप्रार्थीगण जो कि पास ही के क्षेत्र में किराये से निवास करते है तथा भूमाफिया गिरोह के सदस्य है जो भोले–भाले किसानों की जमीन के फर्जी पट्टे बनाकर उन पर कब्जा कर लेते है और जो उनके चंगुल में नहीं फंसता, उनकी जमीन पर भूमाफिया गिरोह के दम पर जबरदस्ती कब्जा कर मकान बना लेते है और विरोध करने पर पुलिस में अपनी पहुंच होने की धमकी देकर डराते धमकाते है। प्रार्थी के खसरा नंबर 237, 238, 240, 243, 242, 241, 244, 245 व 246 में अप्रार्थीगण व उनके गिरोह के कई अन्य सदस्य उक्त खसरा नंबर पर नजर गढ़ाये हुए बैठे है तथा उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी की एक जमीन डिण्डोल में है, जहां पर प्रार्थी खेती को बोने के लिए चला गया। पीछे से अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर पत्थर डालकर जबरदस्ती मकान बनाना आरंभ कर दिया। प्रार्थी को जब इस बात का पता चला तो वह 11.07.2020 को मौके पर आया और आकर अप्रार्थीगण को मकान बनाने से मना किया तो वे मान गये और कहा कि भविष्य में इस प्रकार की हरकत दुबारा नहीं करेंगे। प्रार्थी इस बात से निश्चिंत हो गया तथा पुनः अपनी जमीन पर खेती करने ग्राम डिण्डोल चला गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर पुनः प्रार्थी की कृषि भूमि पर भूमाफिया गिरोह के सदस्य से षड्यंत्र रचकर जबरदस्ती कब्जा कर दिनांक 05.08.2020 को आरंभ कर उस पर मकान बनाना आरंभ कर दिया। प्रार्थी का जब इस बात की जानकारी आस–पास वालों से हुई तो प्रार्थी पुनः मौके पर आया और आकर अप्रार्थीगण को निर्माण कार्य नहीं करने और कृषि भूमि से दूर चले जाने को कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकाया और कहा कि तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनायेंगे क्योंकि पुलिस वालों से हमारी बात हो गई है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रार्थी कृषि भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी केवल अतिक्रमीण है। जिसे प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने व निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर निम्न अनुतोष प्रदान किया जावें :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का लूनियावास, भू अभिलेख निरीक्षक लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर स्थित है, जिसके खाता संख्या नया 72 व पुराना 58, सम्वत् 2074 से 2077 में खसरा नंबर 126 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 127 रकबा 0.0700, खसरा नंबर 166 रकबा 0.1600, खसरा नंबर 167 रकबा 0.1600, खसरा नंबर 168 रकबा 1.600, खसरा नंबर 169 रकबा 0. 1500, खसरा नंबर 180 रकबा 0.3500, खसरा नंबर 181 रकबा 0.4500, खसरा नंबर 237 रकबा 0.3000, खसरा नंबर 238 रकबा 0.3200, खसरा नंबर 240 रकबा 0.6700, खसरा नंबर 241 रकबा 0.5200, खसरा नंबर 242 रकबा 0.2500, खसरा नंबर 243 रकबा 0.2100, खसरा नंबर 244 रकबा 0.4300, खसरा नंबर 245 रकबा 0.5500, खसरा नंबर 246 रकबा 0.2100, खसरा नंबर 274 रकबा 0.4500, 279 रकबा 1.0700, खसरा नंबर 280 रकबा 0.0100, खसरा नंबर 281 रकबा 0.1000, खसरा नंबर 282 रकबा 0.1100, खसरा नंबर 283 रकबा 0.2100, खसरा नंबर 284 रकबा 1.1200, खसरा नंबर 284/509 रकबा 0.5300, खसरा नंबर 287/529 रकबा 0.0300 इस प्रकार कुल खसरा 26 कुल रकबा 9.2100 हैक्टेयर पर स्थित है, अप्रार्थीगण भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचाये तथा प्रार्थी की जमीन पर किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं करें और ना हीं अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, कर्मचारी से निर्माण कार्य करावें और मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जो जबरदस्ती निर्माण कार्य किया है तथा जो निर्माण सामग्री डाली है, उसे अपने खर्चे पर हटावें तथा पूर्व की स्थिति बहाल करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पुलिस थाना खोह नागोरियान के थानाधिकारी को निर्देश दिया जावें कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को तुरंत रूकवाया जावें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने में न्यायालय के आदेश की पालना करें।

सहायक ... शहर ...

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ प्रमाणित प्रति जमाबंदी की फोटो प्रति पेश [illegible] संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये [illegible] उपस्थित आयें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने यह वाद एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय से सही व वास्तविक तथ्य छिपाकर कपटपूर्ण मिथ्या अभिवचन अंकित करते हुए प्रस्तुत किया है जिससे सफलता प्राप्त होने की आशा केवल कल्पना मात्र है। प्रार्थी वादी ने टैगोर गृह निर्माण सहकारी समिति से वर्ष 1985 से पूर्व ही विक्रय कर कब्जा उक्त सोसाईटी को संभलवा दिया था तथा टैगोर गृह निर्माण सहकारी समिति ने वादग्रस्त भूमि पर अपनी आवासीय योजना जय नगर विकसित कर आबादी भूमि में परिवर्तित कर सड़को का निर्माण करवाकर एवं बिजली पानी के कनेक्शन लगवाकर अपने सदस्यों का आवासीय योजना के पट्टे जारी कर अलग–अलग सदस्यों आवासीय भूखण्ड आवंटित कर कंब्जा सदस्यों को संभला दिया जिससे वादग्रस्त भूमि पर ना तो प्रार्थी का किसी भाग पर कोई कब्जा है जब कब्जा ही नही है तो काश्त करने के कथन स्वयमेव ही मिथ्या सबित हो जाते है। वादग्रस्त भूमि पर आबादी बस चुकी है। तथा उक्त सोसाईटी के सदस्यगण अपने अपने भूखण्डों पर काबिज होकर आवासीय भूखण्डो पर निर्माण करवाकर एवं विद्युत कनेक्शन अपने नाम से लेकर शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का भूखण्ड संख्या ए–9 जिसका क्षेत्रफल 174.25 वर्गगज अर्थात 146.69 वर्गमीटर का है उक्त भूखण्ड टैगोर गृह निर्माण सहकारी समिति से उनकी स्कीम जय नगर का दिनांक 18.04.1985 को जयदेव सिंह पुत्र नाथूलाल, जाति–पिनारा, निवासी–ग्राम पोस्ट गुढाकटला, तहसील–बसवा, जिला–दौसा जरिये आवटंन पत्र मय नक्शा मय रसीद प्राप्त किया है। उक्त सोसायटी द्वारा जयदेव सिंह के नाम से जो पट्टा दिनांक 18.04.1985 को जारी किया है उस पट्टे पर वादी श्रीनारायण के संयोजक/गवाह के रूप में हस्ताक्षर हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 07.05. 2012 को निष्पादित व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 2,40,000/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उसके पश्चात प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने होमफस्ट फाईनेन्स कम्पनी जिसका ऑफिस नं. 605–606, सीटी कॉरपोरेट टॉवर, प्लॉट नं. डी–3, मालवीय मार्ग, सी स्कीम, नीयर अग्रसेन सर्किल, जयपुर में स्थित है से लोन प्राप्त कर अपने निवास हेतु सम्पूर्ण आवासीय मकानात् का निर्माण करवाकर छत डलवा दी उसके आगे के भाग पर लोई प्लास्टर का कार्य चल रहा है एवं वर्तमान में [illegible] उक्त भूखण्ड में अप्रार्थीगण निवास करते चले आ रहे है। तथा अप्रार्थीगण के आसपास में एवं चारो तरफ सम्पूर्ण कॉलोनी आवासीय व व्यवसायिक दुकानात् का निर्माण हो चुका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

जिससे प्रार्थी का यह कथन करना की उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है स्वतः ही उक्त कथन मिथ्या साबित हो जाते है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा बताया है लेकिन प्रार्थी ने अपने सहखातेदार काश्तकारों को न तो इस वाद में पक्षकार बताया है। अप्रार्थीगण का भूखण्ड संख्या ए–9 जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में रोड 30 फीट पश्चिम में अन्य की भूमि तथा उत्तर में प्लाट नं. ए–10 दक्षिण में प्लाट नं. ए–8 उक्त भूखण्ड पूर्व पश्चिम 61.6 फीट एवं उत्तर से दक्षिण चौडाई 25.6 फीट है जिसका कुल क्षेत्रफल 174.25 वर्गगज अर्थात 145.69 वर्गमीटर है। उक्त विशिष्ट भाग से प्रार्थी अकेले का उक्त प्लाट पर किसी प्रकार से हित व अधिकार निहित है वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में प्रार्थी वादी ने किसी प्रकार के कोई अभिवचन अंकित नही किये है तथा बिना कब्जे के आधार पर ही प्रार्थी वादी ने केवल स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। वादी ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अर्थात् 35 वर्ष तक अप्रार्थीगण एवं उक्त सोसायटी के सदस्यों के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग व उपभोग करते हुए उन्हे काबिज होता हुआ देखकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की है तथा 35 वर्ष पश्चात वादी प्रार्थी ने यह वाद जमीनों के भाव बढ़ जाने के बाद न्यायालय से सही व वास्तविक तथ्य छिपाकर अवधि बाहर यह वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो अवधि बाहर प्रस्तुत करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि के किसी भाग पर कोई कब्जा नहीं है तथा उक्त सम्पूर्ण भूमि पर जय नगर आवासीय योजना विकसित होकर मकानात् का निर्माण हो चुका है।

जवाब के विशेष विवरण में अंकित है कि वादग्रस्त भूमि के किसी भाग पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है ना ही उक्त भूमि वर्ष 1985 के पश्चात् कृषि भूमि रही है बल्कि वर्ष 1985 से उक्त भूमि पर जय नगर आवासीय योजना विकसित की जाकर सोसाईटी के सदस्यों द्वारा उन्हें आवंटित किये गये भूखण्डों पर टैगोर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा अपने अपने स्वामित्व व अधिपत्य व आवंटित भूखण्डों पर निर्माण कार्य करवाकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिये है जिससे वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर प्रार्थी वादी का कब्जा नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण सोसाईटी के सदस्यों का कब्जा चला आ रहा है जिससे बिना कब्जे के आधार पर वादी प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कानूनी रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर पश्चिम

Scanned by CamScanner

पोषणीय नही होने के कारण सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय भारी हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात विक्रय–पत्र दिनांक 07.05.2012 व आवंटन प्रमाण–पत्र टैगोर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. व बिजली बिलो से स्पष्ट है कि बादपेश्त आराजीयात पर प्रार्थी का काब्जा काश्त नही है। कब्जे काश्त के अभाव में प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही समझते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनता प्रमाणित नही होता। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 21.01.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner